

फर्द अहकाम
(नियम 15)

2024/75

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
कुलदीप कुमार बनाम भादरराम आदि
वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 52 वर्ष 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही गय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
01.02.2024	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तत्व किया जाकर पत्रावली आईन्दा 12.02.2024 को पेश हो <i>अ</i>	
12.2.2024	<p>वाक संघ का पत्र प्राप्त होने पर पत्र संघ के पत्रानुसार दिनांक 16.4.2024 को पेश हुआ <i>अ</i></p>	
20.3.2024	<p>वकील वादी ने पार्चना-45 मि.खाल केसी केस केले पर प्रजावली को केसी के सिपा 01/पा/ वकुलाए फरिदकेन उपशिक्षता वही व फरिदकेन गण 1/रा 4 ने दालिद अदालत आकर राजीनामा केस डिफ जिसे काउ लसीड शामिल फरिल डिफ 01/पा/ प्रजावली वादले सेट जवज 01/दि.का लसीका 24.2024 को पेश हो <i>अ</i></p>	<p>पुस्तक वादी अनुसंधान भादरराम वंशीलाल</p>
24.4.2024	<p>वकुलाए फरिदकेन उपशिक्षता/PU माइक अफवाफ संख्या 01/पा/वली प्रजावली गस्ते वादले दिनांक 29.4.2024 को पेश हो <i>अ</i></p>	<p>कोशिका पटनाकर अभिनी क. 1/पा/4</p>
29.4.2024	<p>वकुलाए फरिदकेन उपशिक्षता/PU माइक अफवाफ संख्या 01/पा/वली प्रजावली गस्ते वादले दिनांक 29.4.2024 को पेश हो <i>अ</i></p>	<p>कोशिका</p>
07.5.2024	<p>वकुलाए फरिदकेन उपशिक्षता वदस सुनी शर्की। प्रजावली का अल्लोकन डिफ गथा। प्रजावली पर उपलब्ध डिफ आदि वही प्रजावली के राजीनामा के आधार पर वाद वादी डिफ डिफा जाया है। पूर्ण डिफरग सहित निर्णय शलग से निष्काया जाकर शामिल फरिल डिफा जाये। प्रजावली नम्बर से काग की जाकर वाद लसीक लअमील जावला दालिल फ फतर हो <i>अ</i></p>	<p>कोशिका</p>

अभिनी क.
कोशिका
पटनाकर
अभिनी क.
1/पा/4



डिकी बमुकदमें ईबादाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 52/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

कुलदीप कुमार पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम

1. भादरराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट साकिन खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. बंशी लाल पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. चन्द्रकला पुत्री भादरराम पत्नी कवरसेन जाति जाट साकिन केसरदेसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ राज0
4. कौशल्या पुत्री भादरराम पत्नी दुलाराम जाति जाट साकिन कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राज0
5. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर तहसील रावतसर।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री दिनेश कुमार भादू वकील-वादी

श्री अंकित प्रतिवादी सं. 1 ता 4

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 5

निर्णय दिनांक- 07.05.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि चक 1 के.डी. डी.ए. पटवार हल्का खोडा के खाता संख्या 50/41 के प0न0 32/34(21) के किला नं. 2/2 की 0.240 है., 3, 8 की 0.506 है., 9/1 की 0.240 है., 12/2 की 0.240 है., 13 की 0.253 है., 21/3 की 0.063 है. कुल 1.5420 है0 अनकमाण्ड भूमि के वादी व प्रतिवादी सं. 2 को ब हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करेगें।

आज यह पर्चा डिकी हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 07.05.2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्डाधिकारी
रावतसर

